राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–2) 12/2018 व 13/2018.....जिला – जयपुर.....

उनवान : मैसर्स श्री संकल्प एन्टरप्राईजेज, 53, उद्योग नगर, रोड़ नं0 8 के सामने, वी.के.आई.ए., जयपुर.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, राजस्थान, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/01/2018	खण्डपीठ श्री के. एल. जैन, सदस्य श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 148 व 149/अपील्स–III/स्थगन/2017–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन–राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2014–15 व 2015–16 के लिये वेट अधिनियम की धारा 34, 25, 55 व 61 सपठित राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.11.2017 से सृजित मांग राशि क्रमशः रूपये 1,50,60,000/– व रूपये 4,26,48,000/– की वसूली के स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए क्रमशः रूपये 1,05,91,330/– व रूपये 2,95,25,787/– की राशि का स्थगन प्रदान किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में वसूलनीय बकाया राशि क्रमशः रूपये 42,45,220/– व रूपये 1,24,66,093/– के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 04.11.2015 को किया जाने पर व्यवहारी द्वारा नगद खरीद–बिक्री किया जाना पाया गया था, जिसका सत्यापन करवाने में व्यवहारी असफल रहने पर वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत आदेश दिनांक 30.03.2017 को पारित किये जाकर मांग सृजित की गयी। उक्त आदेशों को पुनः खोलने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये, जिन्हें स्वीकार करते हुए उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा प्रकरणों को पुनः खोले जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः आदेश पारित किये जाने लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–2) 12/2018 व 13/2018.....जिला – जयपुर.....

उनवान : मैसर्स श्री संकल्प एन्टरप्राईजेज, 53, उद्योग नगर, रोड़ नं0 8 के सामने, वी.के.आई.ए., जयपुर.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, राजस्थान, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/01/2018	हेतु कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरणों को पुनः खोलते हुए व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विवादित आदेश दिनांक 20.11.2017 से असत्यापित खरीद–बिक्री के आधार पर कर, ब्याज व शास्ति के रूप में उक्तानुसार मांग कायम की गयी। बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री विक्रम गोगरा ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की खरीद–बिक्री को प्रमाणित किये बगैर आदेश पारित किये गये हैं। व्यवहारी की समस्त खरीद बिक्री का इंद्राज उसकी बहियात में किया हुआ था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर विवादित आदेश पारित करते हुए व्यवहारी के विरूद्ध भारी मांग कायम की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी आंशिक राशि का स्थगन प्रदान किये जाने में त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि के स्थगन हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करने पर मौके पर पाये गये दस्तावेजों से प्रमाणित था कि व्यवहारी द्वारा नगद खरीद–बिक्री की गयी है, जिसका इंद्राज लेखा–पुस्तकों में नहीं किया गया है एवं इस बाबत् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति व ब्याज राशि की सीमा तक स्थगन प्रदान किया जाकर व्यवहारी को अधिकतम राहत प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कर राशि की सीमा तक सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें मय स्थगन अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। लगातार.....3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–2) 12/2018 व 13/2018.....जिला – जयपुर.....

उनवान : मैसर्स श्री संकल्प एन्टरप्राईजेज, 53, उद्योग नगर, रोड़ नं0 8 के सामने, वी.के.आई.ए., जयपुर.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, राजस्थान, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/01/2018	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों के अवलोकन पर पाया कि विवादित उचंति विक्रय राशियों का सत्यापन कराने के दो बार अवसर प्रदान करने के बावजूद अपीलार्थी ने लेखा–पुस्तकें पेश नहीं की हैं, ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर की वसूली पर स्थगन नहीं देने का निर्णय उचित प्रतीत होता है एवं प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी की दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती है। उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	